प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 148/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

छगनलाल चन्देल पिता देवकिशन चन्देल निवासीः अम्बिका चौक, जलचक्की, तहसील–कांकरोली, राजसमन्द

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18-11-2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 17.09.2024 को एंक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम वरड़ा तहसील बड़गांव स्थित खाता संख्या 851(पुराना 223) आराजी संख्या 345 से 350, 4318/350, 4319/350 कुल रकबा 0.7300 हैक्टेयर भूमि की 251–ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत जारी आदेश तथा मूल पत्रावली मूल स्वरूप की प्रमाणित प्रतियां चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/148/24/1221–22 दिनांक 25.10.2024 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बड़गांव द्वारा अपने जवाब जरिये पत्र क्रमांकः सू.अ.2005/24/2938 दिनांक 14.11.2024 से निवेदन किया गया कि अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा में राजस्व ग्राम वरडा तहसील बड़गांव स्थित खाता संख्या 851 (पुराना 223) आराजी संख्या 345 से 350, 4318/350, 4319/350 कुल रकबा 0.7300 हैक्टेयर भूमि की 251–ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत जारी आदेश तथा मूल पत्रावली मूल स्वरूप की समस्त प्रमातिण प्रतियां चाही गई है। प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.20(84) प्रसु/सूअप्र/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 12.10.18 के अनुसार "यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शूल्क निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के संबंध में अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू न होकर, उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।" प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 खारिज कर न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाहने हेतु रेवेन्यु कोर्टस् मैन्युअल के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदन कर प्रमाणित प्रति

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

प्राप्त करने हेतु मूल पत्रावली व नाम मय पता नहीं होने से कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक 2818 दिनांक 14.10.2024 से निर्देशित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नियत अवधि 30 दिवस से पूर्व सूचित कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को खारिज करने का कष्ट करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम वरडा तहसील बड़गांव स्थित खाता संख्या 851 (पुराना 223) आराजी संख्या 345 से 350, 4318/350, 4319/350 कुल रकबा 0.7300 हैक्टेयर भूमि की 251–ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत जारी आदेश तथा मूल पत्रावली मूल स्वरूप की प्रमाणित प्रतियां चाही गई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.09.2024 द्वारा चाही गई सूचना में पत्रावली संख्या एवं अनवान का अंकन नहीं किया गया है जिसके अभाव में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। प्रत्यर्थी द्वारा मूल पत्रावली व नाम पता नहीं होने से उनके कार्यालय के पत्रांक 2818 दिनांक 14.10.2024 निश्चित समयावधि में अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया। इसके उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना के संबंध में पत्रावली संख्या, अनवान या निर्णय दिनांक का अंकन नहीं किया गया है, जिसके अभाव में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)(ख) में "मांगी गई सूचना की विशिष्टिया विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा" के प्रावधान है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी वांछित सूचना के संबंध में पत्रावली संख्या/अनवान/निर्णय दिनांक आदि का अंकन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार शुल्क जमा करा सूचना प्राप्त कर सकता है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बड़गांव एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर